

भवन मानचित्र आवेदन-पत्र अग्रसारित किये जाने सम्बन्धी चैक लिस्ट

1. दूनधटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/एम0डी0ए0 का आवेदन-पत्र अग्रसारित प्रार्थना-पत्र के साथ।
2. भवन मानचित्र फायर फाइटिंग सम्बन्धी व्यवस्था अंकित किये हुए 7 प्रतियों में।
3. स्ट्रक्चरल डिजाइन 3 प्रतियों में सर्टिफिकेट एवं गणना शीट की प्रति तथा भवन की ऊंचाई 9 मीटर से अधिक होने पर आई0आई0टी0 रुडकी/पंतनगर विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चरल डिजाइन विशेषज्ञ विभाग का स्ट्रक्चरल प्रमाण-पत्र।
4. दूनधाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बैंक ड्राफ्ट. 3000/-/एवं एम0डी0डी0ए0 बैंक ड्राफ्ट 30'15/-जो कि प्राधिकरण सचिव के नाम हो तथा देहरादून में देय हो संलग्न हो।
5. भू-स्वामित्व अभिलेख (विक्रय पत्र एवं खजौनी की सत्यापित प्रति)
6. ई0एम0 नं0-पार्ट-1 एवं प्रदूषण सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित सतरा मानचित्र की प्रति जिसमें औद्योगिक भूखण्ड का अंकन हो संलग्न हो।
8. क्षतिबंधक शपथ-पत्र रू0 65/-के स्टाम्प पेपर पर।
9. दूनधाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/एम0डी0डी0ए0 द्वारा निधरित प्रारूप पर शपथ-पत्र एवं जिसमें जल की व्यवस्था स्वयं उद्यकी द्वारा किये जाने का भी उल्लेख हो।
10. आर्टिकल आफ मेमोरेण्डम की प्रति एवं डायरेक्टरों की लिस्ट पार्टनरशिप डीड जोभी लागू हो।
11. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति हेतु आवेदन-पत्र।
12. भूकम्परोधी निर्माण करने हेतु प्रमाण-पत्र।
13. इस आशय का संयुक्त शपथ-पत्र (आवेदन एवं मानचित्र बनाने वाले आर्कीटेक्ट/ड्राफ्टमैन) से लिया जाय कि उनके द्वारा आवेदित/तैयार किया गया मानचित्र सम्बन्धित क्षेत्र की महायोजना में निर्धारित औद्योगिक भू-उपयोग एवं उक्त क्षेत्र में प्रचलित उपविधियों/उपनियमों के अन्तर्गत ही बनाया गया है अन्यथा कि स्थिति में मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
14. यदि इकाई विस्तारीकरण करती है तो ई0एम0 नं0-पार्ट-2 व प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी सहमति पत्र की प्रति।
15. यदि इकाई विस्तारीकरण करती है तो पूर्णतया प्रमाण-पत्र की प्रति।
16. यदि इकाई विस्तारीकरण करती है तो पूर्व में स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून में भवन मानचित्र आवेदन पत्र
जमा कराये जाने हेतु प्रपत्रों का विवरण

1. एम0डी0डी0ए0 कार्यालय से प्राप्त की गयी भवन मानचित्र पत्रावली, मय आवेदन प्रपत्रो को पूर्ण रूप से भरे हुये तथा जिला उद्योग केन्द्र से अग्रसारित।
2. चैक लिस्ट पूर्ण रूप से भरी हो।
3. भवन मानचित्रों की नील मुद्रित 5 प्रतियाँ, जिनमें 2 प्रतियों में कपडा चढ़ा हो।
4. स्ट्रक्चरल डिजायन एक प्रति में, एवं मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट, भूकम्परोधी प्रमाण पत्र।
5. भू स्वामित्व अभिलेख (विक्रय पत्र) आदि सत्यापित प्रति तथा अद्यतन खतौनी की मूल प्रति।
6. निर्धारित प्रारूप व स्टाम्प पर समस्त शपथ पत्र, क्षतिबन्धक पत्र। ~~की भाषा~~
7. आवश्यक वॉछित विभिन्न विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र। यथा प्रदूषण बोर्ड, पी0डब्लू0डी0, जिला प्रशासन, नगर निगम, ग्राम समाज, राज्य / केन्द्र सरकार, अग्नि शमन, जल, विद्युत, बन विभाग आदि।
8. परिवर्तन / परिवर्धन सम्बन्धी प्रकरणों में पूर्व स्वीकृत मानचित्र की पठनीय सत्यापित प्रति।
9. सचिव एम0डी0डी0ए0 के नाम से रू0 3015 / - (औद्योगिक ईकाई हेतु) का बैंक डाफ्ट संलग्न हो।